

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-729/ग्यारह-9(1)/2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2013
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2013

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो एवं अनुसूची-चार में दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

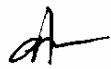
- (क) अनुसूची-दो में, भाग-ग में, क्रम संख्या 236 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी:-

क्रम संख्या	माल का नाम और विवरण
1	2
236	कच्चा तम्बाकू जिसमें विभिन्न साइज में कटे हुए कच्चे तम्बाकू तथा टोबैको रिफ्यूज सम्मिलित हैं।

- (ख) अनुसूची-चार में, क्रम संख्या 14 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी:-

क्रम संख्या	माल का नाम और विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
14	खैनी, जर्दा, सुर्ती, अन्य निर्मित तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद जिसमें बीड़ी एवं सिगरेट/सिगार अपवर्जित है।	नि0 या आ0	30%

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।